न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 117/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/427

अनवान्

1. श्री नारायणलाल पिता देवा डांगी निवासी विठोली तह. घासा।

.............प्रार्थी

बनाम

1. श्री लोगरी माता दोलीबाई डांगी निवासी राणाकुई तह. वल्लभनगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा तह. घासा।
3. उप पंजीयन अधिकारी घासा तह. घासा।
4. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. घासा।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 23.12.2024

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल तह. घासा के परिशिष्ट (1) में वर्णित आराजी नम्बर 1036, 1229, 1242, 1243, 1244, 1245, 1249, 1250, 1254, 1262, 1263, 1267, 1567/1350, 1569/1368 किता 14 रकबा 5.2691 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 1/2 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (2) में वर्णित आराजी नम्बर 1022, 1023, 1024, 1253, 1258, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1425, 1426 किता 11 कुल रकबा 1.6836 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (3) में वर्णित आराजी नम्बर 1022, 1023, 1024 किता 3 कुल रकबा 0.1458 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (4) में वर्णित आराजी नम्बर 1311 रकबा 1.8535 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 129/916 हिस्सा एवं विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 129/916 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (5) में वर्णित आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.3561 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 18941/114996 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 18941/114996 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (6) में वर्णित आराजी नम्बर 1423 रकबा 0.0324 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (7) में वर्णित आराजी नम्बर 1568/1351 रकबा 0.1538 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/4 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 लोगरी पुत्री देवा के नाम 1/4 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं। परिशिष्ट (8) में वर्णित आराजी नम्बर 1260 रकबा 0.0162 हेक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 1/12 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 लोगरबाई पुत्री देवा के नाम 1/12 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित हैं।

2. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि बाबत् मुझ प्रार्थी के पिता द्वारा की गई वसीयत के आधार पर मुझ प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हक हिस्से को अपने खातेदारी हक का घोषित करवाये जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व माननीय न्यायालय आपमें एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय के प्रकरण संख्या 195 सन् 2022 (वाद) पर पंजीबद्व हुआ जिसमें बावजूद सूचना के विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई और उक्त वाद मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व स्वीकार कर दिनांक 10.04.2023 को निर्णय व डिक्री पारित कर विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हक हिस्से का वसीयत अनुसार मुझ प्रार्थी का खातेदार घोषित फरमाया गया और निर्णय व डिक्री की पालना होकर उक्त भूमि मुझ प्रार्थी के नाम पर रेकार्ड में दर्ज कर दी।

3. यह कि विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना जानबुझकर अनुपस्थित रही जिससे इसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा निर्णय व डिक्री पारित किया था लेकिन इसके बाद विपक्षी संख्या 1 ने एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दो तरफा कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन किया जो कि प्रकरण संख्या 136/23 विविध पर दर्ज हुआ जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर एकतरफा निर्णय व डिक्री को अपास्त कर विपक्षी संख्या 1 को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिससे उक्त वाद वर्तमान में प्रकरण संख्या 146/24 वाद पर पंजीबद्व होकर पेशी दिनांक 10.10.2024 की नियत है। एकतरफा निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने बाद विपक्षी संख्या 1 के आवेदन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री के पूर्व की रिकार्ड की स्थिति बहाल रखने के आदेश दिये गये जिससे वर्तमान में मुझ प्रार्थी के साथ ही विपक्षी संख्या 1 का नाम भी राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हो गया।

4. यह कि न्यायालय द्वारा रिकार्ड की पूर्व स्थिति बहाल रखने हेतु दिये गये आदेशानुसार विपक्षी संख्या 1 का नाम रेकार्ड में दर्ज हो गया है जबकि मौके पर मै प्रार्थी अपने पिता के वक्त से निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा वर्तमान में कुलिया भूमि मुझ प्रार्थी के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है और उक्त भूमि के इंच मात्र भू भाग पर कभी भी विपक्षी संख्या 1 का कब्जा काश्त या उपयोग उपभोग नहीं रहा है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 1 लोभ लालच की भावना से वशीभूत होकर नाजायज तरीके से अपने नाम अंकित हक हिस्से को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रही है और मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में भी दखलन्दाजी कर रही है एवं मौके स्थिति को परिवर्तित करवाने पर उतारू हो रही है और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से निरन्तर भूमाफियाओं से सम्पर्क बना रही है और विपक्षी संख्या 1 की ओर से मुझ प्रार्थी को निरन्तर धमकीयां दी जा रही है कि वो अब इस जमीन को ऐसे लोगो को बेच देगी तो मुझे लाठी के दम से इस जमीन से बेदखल कर कब्जा कर लेंगे जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में अभी भी न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है और उसका अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 को उक्त अवैधानिक कृत्य करने से रोकने के लिए इसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि मैं प्रार्थी अपने पिता की एकमात्र जायन्दा पुत्र सन्तान हूं और मुझ प्रार्थी द्वारा ही मेरे पिता की सेवा चाकरी की गई है और मेरी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर उन्होने अपने जीवनकाल में उनकी समस्त चल अचल सम्पति मेरे नाम पर वसीयत की और मेरे पिता की समस्त चल अचल सम्पति का उपयोग उपभोग भी मैं प्रार्थी ही कर रहा हूं और काबिज हूं जिसमें विपक्षी संख्या 1 का कभी कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा है, न ही वर्तमान में हैं। उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है और उसका निस्तारण होना शेष है जिसका ज्ञान विपक्षी संख्या 1 को है लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि उसके नाम पर दर्ज हो जाने से न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद की परवाह किये बगैर अपने नाम अंकित कुलिया हक हिस्से को खुर्द बुर्द करने के एवं बल पूर्वक कब्जा कर मौके की स्थिति को परिवर्तन करने के प्रयास किये जा रहे है और मुझ प्रार्थी के उपयोग उपभोग में भी निरंतर दखल दाजी की जा रही है जबकि विपक्षी संख्या 1 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

ऐसा करने से मना किया तो विपक्षी संख्या 1 ने मुझ प्रार्थी के साथ लडाई झगडा किया एवं समझाईश करने पर भी नहीं मानी। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल वाद के अंतिम निस्तारण होने तक विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी के हिस्से कब्जे की कृषि भूमि पर कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 2 से 4 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करे तो पंजीयन/नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को हस्तान्तरित कर दिया जावेगा और अजनबी व्यक्ति बलपूर्वक जबरन कब्जा करने की कोशिश करेंगे जिससे मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी एवं पक्षकारो के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव होगा और माननीय न्यायालय में विराचाधीन वाद का औचित्य ही नहीं रहेगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 06.10.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित करने एवं मुझे बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी और समझाने पर भी नहीं मानी, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल वाद के अंतिम निस्तारण होने तक विपक्षी संख्या 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि में शांतिपूर्वक कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी के शांतिपूर्वक खेती करने एवं उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी के हिस्से कब्जे की कृषि भूमि पर कब्जा नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, कच्चा/पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, प्रवेश नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

के मार्फत ही करावें, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 2 से 4 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करे तो पंजीयन/नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं करे, रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखे।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी टिनेन्सी एक्ट का दिनांक 14.10.2024 को गलत आधारो पर प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

9. यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण 195/22 वाद थे व उक्त वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 10.04.2023 को निर्णित करते हुए वादी का वाद एकतरफा डिक्री किया गया था जिसके विरूद्व विपक्षी संख्या 1 ने एक पक्षीय डिक्री को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 136/23 विविध प्रार्थना पत्र पर दर्ज होकर न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनकर विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का दिनांक 05.08.2024 को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा जारी एक पक्षीय डिक्री दिनांक 10.04.2023 को अपास्त कर पुनः वाद दर्ज किया गया जिसके मुकदमा नम्बर 146/24 वाद है इस तरह प्रार्थी का वाद केवल मात्र घोषणा का वाद दर्ज होकर सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 28.11.2024 को नियत हैं।

10. यह कि कानूनन जहां स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं हो तो बिना स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है प्रार्थी का वाद ही स्थाई निषेधाज्ञा का नहीं हैं। प्रार्थी का वाद केवल मात्र घोषणा का है, जब प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा के वाद की कोई दाद ही नहीं चाही है तो बिना स्थाई निषेधाज्ञा के दाद के अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, न ही बिना स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा की दाद दी जा सकती है ऐसी अवस्था में प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद ही नहीं है तो प्रार्थी के पक्ष में बिना वाद के एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे व विपक्षी के विरूद्व जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जावे।

11. यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं ने यह अंकित किया है कि प्रार्थी का घोषणा का वाद है जिस पर भी न्यायालय ने [illegible] किए ही प्रार्थी का स्थाई निषेधाज्ञा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

वाद नहीं होते हुए भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का बिना अवलोकन किए ही एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है जो काबिल निरस्त होने योग्य हैं।

12. अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थी के पक्ष में जारी की गई एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का निरस्त फरमाया जावें।

13. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस सुनी जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त AIR 1974 DELHI Page 207 पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किये जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम विठोली पटवार हल्का रख्यावल तहसील घासा की आराजीयात के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश किया गया था। उक्त वाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.04.2023 को डिक्री किया गया था तत्पश्चात् विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2023 को अपास्त किया गया। उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि प्रार्थी/वादी द्वारा जिस वाद के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उस वाद में प्रार्थी/वादी द्वारा केवल मात्र घोषणा की दाद चाही गई हैं। किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की दाद नहीं चाही गई हैं जबकि प्रार्थी/वादी विपक्षी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं लेके आता है तब तक विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद नही चल सकता हैं। न्यायालय का विनम्र [illegible] कि प्रार्थी के वादपत्र की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसके [illegible] नहीं होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हो। ऐसे में बिना स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested